आख्या–प्रारूप

आई0जी0आर0एस0 सं0	60000250138588
शिकायत से सम्बन्धित विभाग–	ऊर्जा विभाग
शिकायतकर्ता का नाम–श्री कमलेश सिंह	मोबाइल नम्बर–8127195424
निस्तारणकर्ता अधिकारी/कार्मिक का नाम– इं0 मनीष कुमार श्रीवास्तव	पदनाम–अधिशासी अभियन्ता मोबाईल नम्बर–9450963598
निस्तारण का दिनांक–	11.07.2025
शिकायत संक्षिप्त रूप में– श्री कमलेश सिंह निवासी ग्राम कोठरा कंतित, पो0–श्रीनिवासधाम, विकास खण्ड–छानबे, तहसील–दर, जिला मीरजापुर द्वारा विद्युत चोरी से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध कराने हेतु शिकायत किया गया है।	संक्षिप्त निस्तारण आख्या (यदि आवश्यक हो विस्तृत आख्या अलग से संलग्न कर दें, परन्तु संक्षिप्त निस्तारण आख्या यहाँ अवश्य उल्लेखित करें) उक्त शिकायत के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि श्री दिलीप सिंह पुत्र श्री रघुबर दयाल सिंह निवासी कोठरा कंतित, बलुआ (जल निगम टंकी के पास) विकास खण्ड–छानबे, तहसील–सदर जिला मीरजापुर के परिसर की जाँच सम्बन्धित अवर अभियन्ता द्वारा दिनांक 02.09.2021 को किया गया। जाँचोपरान्त पाया गया कि उक्त के परिसर पर 02 किलोवाट (एल0एम0वी0–2) विधा में विद्युत चोरी से सम्बन्धित अनियमितता पायी गयी। जिसके परिप्रेक्ष्य में भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा–135 के तहत विद्युत चोरी मे प्राथमिकी दर्ज करायी गयी। जिसका अन्तिम राजस्व निर्धारण रु0 187746.00 एवं समन शुल्क रु0 30,000.00 कुल रु0 2,17,746.00 है। इसी क्रम में यह भी अवगत कराना है कि यदि शिकायतकर्ता को उक्त के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत करें, जिससे सुनवाई कर प्रकरण को निस्तारित किया जा सके।

गवाहों के नाम एवं मोबाईल नं0 तथा हस्ताक्षर	नाम	मोबाइल नं0	हस्ताक्षर
	1–		

यदि शिकायत इनमें से किसी श्रेणी का है तो टिक करें (जो लागू न हो उसे काट दें)	1–न्यायालय से सम्बन्धित (x) 2–RTI से आच्छादित (x) 3–वृहद योग (x) 4–अन्य विशेष श्रेणी (संक्षिप्त में लिखे)
समीक्षक/अग्रसारित करने वाले अधिकारी का संतृष्टि/अभ्युक्ति (स्पष्ट वर्णित करें कि निस्तारण की गुणवत्ता से संतुष्ट है/निस्तारण IGRS में सम्भव नहीं है)	
एक स्तर उच्चा अधिकारी की अभ्युक्ति/जॉच आख्या ऊर्जा विभाग	मेरे इं0 मनीष कुमार श्रीवास्तव (फीडबैक लेने वाले अधिकारी का नाम) द्वारा दिनांक 11.07.2025 को, समय..........बजे आई0जी0आर0एस0 शिकायत संख्या 60000250138588 द्वारा प्रदत्त मोबाईल नं0..................पर फीडबैक प्राप्त किया गया। मेरे द्वारा दूरभाष संख्या...............से फोन किया गया तथा यह पाया गया कि आवेदक संतुष्ट/असंतुष्ट (जो लागू न हो उसे काट दें) है। असंतुष्टि की दशा में मेरे द्वारा निस्तारणकर्ता अधिकारी से वार्ता कर यह पाया गया (जो लागू न हो उसे काट दें) 1–निस्तारण की गुणवत्ता में सुधार संभव है। अतः सम्बन्धित अधिकारी की गुणवत्ता सुधार कर पुनः समुचित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया। अथवा 2–आवेदक द्वारा की जा रही अपेक्षा विधिसम्मत पूर्ण होने योग्य नहीं है अतः निस्तारण की गुणवत्ता की प्रति में आवश्यक हूँ, अग्रेतर कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। हस्ताक्षर

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

विद्युत वितरण खण्ड–द्वितीय,

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,

फतहाँ, मीरज़ापुर

पत्रांक 3404 वि0वि0ख0–द्वि0(मी0)/आई0जी0आर0एस0 दिनांक 21/3/21

विषय–ऑन–लाइन सन्दर्भ सं0 40019921016206, 40019921016468, 40019921016448 एवं 40019921017223 के सम्बन्ध में।

श्री कमलेश सिंह
पुत्र श्री रघुवर दयाल सिंह
निवासी ग्राम–कोठरा कन्तित,
ग्राम पंचायत–कोठरा कन्तित,
विकास खण्ड–छानबे, तहसील–सदर,
जिला–मीरज़ापुर।

महोदय,

आप द्वारा की गई शिकायत की जाँच सम्बन्धित अवर अभियन्ता द्वारा कराया गया। जाँचोपरान्त उन्होंने अवगत कराया कि शिकायतकर्ता श्री कमलेश सिंह के परिसर की चेकिंग दिनांक 02.09.2021 को किया गया। जाँचोपरान्त श्री दिलीप सिंह पुत्र श्री रघुवर दयाल सिंह द्वारा विद्युत चोरी मौके पर पायी गयी। जिसके कारण उक्त व्यक्ति के विरुद्ध धारा–135 के तहत प्राथमिकी दर्ज करा दी गयी।

(मनोज कुमार यादव)
अधिशासी अभियन्ता

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

विद्युत वितरण खण्ड–द्वितीय,
पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,
फतहाँ, मीरजापुर

पत्रांक 1763 वि0वि0ख0–द्वि0(मी0)/ दिनांक 05-04-2023

विषयः–पी0जी0 पोर्टल सन्दर्भ सं0 60000230058136 के सम्बन्ध में।

अधीक्षण अभियन्ता
विद्युत वितरण मण्डल
मीरजापुर।

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि शिकायतकर्ता श्री कमलेश सिंह, निवासी ग्राम–कोठरा कंतित, पो0–श्री निवासधाम, विकास खण्ड–छानबे, तहसील–सदर, मीरजापुर द्वारा जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गयी सूचना का विवरण बिन्दुवार निम्नवत् हैः–

1. श्री दिलीप सिंह पुत्र श्री रघुबर दयाल सिंह को धारा–135 के तहत हुए एफ0आई0आर0 के राजस्व निर्धारण की वसूली हेतु विभाग द्वारा नोटिस भेजा गया है, राजस्व जमा न करने की स्थिति में विभाग द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।
2. यह सूचना अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से सम्बन्धित नहीं है। चार्ज शीट की कॉपी आप सम्बन्धित थाने से प्राप्त कर सकते हैं।
3. श्री दिलीप सिंह द्वारा परिसर हड़पने के बाद आपको यह उस समय तक के विद्युत बिल का सम्पूर्ण भुगतान करके संयोजन का स्थाई विद्युत विच्छेदन करना उचित होता, क्योंकि विभाग में जिनके नाम से संयोजन है, बिल भी उसी के नाम से निर्गत किया जाता है।
4. श्री दिलीप सिंह पुत्र श्री रघुबर दयाल के परिसर पर पाई गयी अनियमितताओं के आधार पर विभाग द्वारा धारा–135 के तहत कार्यवाही की गयी है। इसके उपरान्त आपका अन्तिम राजस्व निर्धारण रु0 1,87,746.00 एवं शमन शुल्क रु0 30,000.00 कुल रु0 2,17,746.00 जमा करने हेतु प्रेषित किया गया है।

(राजेश कुमार)
अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक /वि0वि0ख0–द्वि0(मी0)/ तद्दिनांक
प्रतिलिपि श्री कमलेश सिंह, निवासी ग्राम–कोठरा कंतित, पो0–श्री निवासधाम, विकास खण्ड–छानबे, तहसील–सदर, मीरजापुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(राजेश कुमार)
अधिशासी अभियन्ता

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय,
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,
फतहाँ, मीरजापुर

पत्रांक विoविoखo-द्वि(मीo) दिनांक..................

विषय:- जन सूचना अधिकार के तहत मांगी गयी ऑनलाइन सूचना (PUVNL/R/2023/60424) के सम्बन्ध में।

श्री कमलेश सिंह
निवासी ग्राम कोठरा कंतित पोस्ट श्री निवास धाम
मीरजापुर।

उपरोक्त विषयक अवगत हों कि आपके द्वारा जनसूचना अधिकार के तहत 5 बिन्दुओ की सूचना मांगी गयी है जो अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से सम्बंधित नही है आपके द्वारा मांगी गयी सूचना विद्युत चोरी निरोधक थाना मीरजापुर से सम्बंधित है।

(राजेश कुमार)
अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक 1140 विoविoखo-द्वि(मीo) / दिनांक 22/02/2024
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण मण्डल मीरजापुर।

(राजेश कुमार)
अधिशासी अभियन्ता